न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 77/2016
GCMS CASE NO-2016/0019

समसुदीन पुत्र सरफूदीन जाति मुसलमान निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
................अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

............रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री श्याम सुन्दर चाण्डक एवं श्री संजीव कालिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 02
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः 17.05.2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 467/1 की 0.354 है0, 467/6 की 4.086 है0, 467/7 की 0.329 है0 कुल 4.769 है0 टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट को जैर अपील रकबा उपनिवेशन अधिनियम के तहत आवंटन किया गया था जो समय—समय पर नवीनीकरण होता रहा है। मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त आवंटन की दिनांक से चला आ रहा है। आवंटन की शर्तो को पूर्ण न करने पर जिला कलक्टर द्वारा ही उक्त आवंटन को निरस्त किया जा सकता है, अन्य किसी को ये अधिकार नहीं है। अपीलांट की भूमि वेस्ट लैण्ड़ थी ही नहीं, एवं इसके लिए राज्य सरकार ने 1996 में अलग नियम बनाये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर बिना कानून को पूर्ण रूप से समझे गैरजिम्मेदाराना तरीके से जैर अपील आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की भूमि पैराफैरी क्षेत्र में आनी मानकर अपीलांट का आवंटन खारिज किया है जबकि राज्य सरकार द्वारा शहरी सीमा (पैराफेरी) में खातेदारी दिये जाने हेतु स्पष्ट नियम बनाये हुए है। यदि भूमि उपनिवेशन की मानी जावे तब भी आवंटन नियमों में ही भूमि को पुख्ता किये जाने योग्य माना गया है। इस विषय में 2006 से पूर्व ही नियम बन चुके थे जिसमें पैरोफेरी की कोई सीमा नही है। द्वितीय यदि भू—राजस्व की मानी जावे तब राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने स्पष्ट अधिकार प्रदान किये गये है। अपीलांट [illegible] रकबा [illegible] कृषि पट्ट शर्ते 1955 के अन्तर्गत आवंटित हुई थी ना कि अनुपयोगी वेस्ट लैण्ड [illegible]टन [illegible] के तहत। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वेस्ट लैण्ड़ में अपीलांट का रकबा खारिज [illegible] दिया। अपीलांट की पत्रावली पर गौर किया जो पत्रावली फर्द अहकाम दिनांक 25.04.20[illegible] से [illegible] रही थी। अपीलांट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया था। उक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही पत्रावली पर बिना बहस किये ही निर्णय पारित कर दिया जो विधिविरुद्व है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2006 निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 09.02.2022 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को पक्षकार बनाते हुए उन्हे रेसपोडेंट संख्या 02 पर संयोजित किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चाण्डक एवं श्री संजीव कालिया उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज तथा रेसपो0 संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक जैसी ही लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 03.06.2016 को अपने रकबा की खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र देने के पटवारी हल्का से मिला तब उसे जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश प्राथमिकतः गलत है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है, प्राकृतिक न्याय का हनन हुआ है।अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील दस वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (2) पेज 1090, आरआरटी 2015 (1) पेज 232, आरआरटी 2002 पेज 33, आरआरटी 2010 पेज 801 पेश कर निवेदन है कि देरी माफी योग्य नही है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की भलीभांती जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर 10 वर्ष पश्चात देरी से यह अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित देरी का कारण सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

7. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु जैरकार थी, परन्तु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 08.09.2006 को जेर अपील आदेश एकतरफा तौंर पर पारित कर दिया। जैर अपील रकबा अपीलांट को टीसी आवंटन हुआ था। उक्त रकबा पर अपीलांट के हित निहित है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है इसलिए हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

8. तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
9. वकील अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2006 अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही है तथा अपीलांट ने समय समय पर राशि जमा करवाई है। आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक अपीलांट का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से काफी दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। मौके पर अपीलांट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी कई अवसरों पर अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। उक्त कथनों के समर्थन में अधियक्ता अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के प्रकरण निगरानी/एलआर/3995/2014/ श्रीगंगानगर अनवान फुसाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017, निगरानी/एलआर/कोलो/3478/2006/श्रीगंगानगर अनवान धन्ने सिंह (मृतक) जरिये शरबतकंवर आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017, निगरानी/एलआर/7335/ 2006/श्रीगंगानगर अनवान नागरदास आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017, निगरानी/एलआर/6410/2006/श्रीगंगानगर अनवान मोती सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018, निगरानी संख्या 2279/2011/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 तथा माननीय उच्च न्यायायल के प्रकरण संख्या एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 9497/2018 अनवान पाबूदान बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू आदि में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2022 दृष्टांत पेश कर किये। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत वे स्थितियां दी गई कि जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्हीं नियमों के तहत नियम (V) के आगे अंकित किया गया है कि " तो कलेक्टर पट्टे को कभी समाप्त कर सकेगा और इसके पश्चात ऐसी भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा"। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई काश्त खारिज करने की शक्तियां कलक्टर में निहित है ना कि तहसीलदार में। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 08.09.2006 खारिज करने बाबत निवेदन किया।
10. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। अपीलांट को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नही हुआ है। राज्य सरकार ने अनेकों बार टीसी पुख्ता आवंटन हेतु टीसी आवंटियों को अवसर दिये थे परन्तु इस प्रकरण में अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का [illegible] पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की [illegible] मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

11. रेस्पोडेंट संख्या 02 नगरपालिका, सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को उक्त रकबा का टीसी आवंटन नियम 1955 के अनुसार कताई अस्थाई आवंटी नही रहा है। अपीलांट ने अपने नाम से आवंटन के पश्चात ना तो प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया है तथा ना ही अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्तो की पालना की है और ना ही प्रतिवर्ष रकम जमा करवाई है। अपीलांट का पेशा काश्तकारी है या नही यह भी साबित नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज 431, आरआरटी 2018 पेज 364 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है। एक साल की समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1999 पेज 214 पेश कर निवेदन है कि टीसी आवंटन रकबा में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जेर अपील रकबा पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जमाबंदियों में शुरू से ही उक्त रकबा आराजीराज था अपीलांट के नाम से गिरदावरियों में अंकन नहीं है। सन् 2006 के पश्चात से यह रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है। अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का कोई हित नहीं है ना ही अपीलांट का कब्जा है। जैर प्रकरण रकबा का टीसी निरस्ती हेतु जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को अधिकृत किया गया था। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 23 अनुसार **"If there is any colonisation officer appointed under that title for the area in which the is situated, the powers or functions conferred on the collector by these or any special conditions, shall be exercised by such officer, unless Goverment otherwise directs.** तथा आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ड़) अनुसार **"ColonisationTehsildar"means the Revenue Officer-in charge of the Colonisation Tehsil in which the land is situated and includes and officer to whom the powers and functions of a Colonisation Tehsildar have been delegated.** उक्त नियमों के तहत जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को दी गई हैं। तहसीलदार जिला कलक्टर की हैसियत से टीसी खारिज करने हेतु सक्षम है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार व अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही अपीलांट की टीसी खारिज की है जो नियमानुसार सही है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलांट को जैर प्रकरण भूमि यथा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 467/1 की 0.354 है0, 467/6 की 4.086 है0, 467/7 की 0.329 है0 कुल 4.769 है0 रकबा दिनांक 15.07.1982 को उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन की गई थी। अपीलांट का टीसी आवंटन संवत 2043 तक नवीनीकरण हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। अपीलांट को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नही हुआ है। राज्य सरकार ने अनेकों बार टीसी पुख्ता आवंटन हेतु टीसी आवंटियों को अवसर दिये थे परन्तु इस प्रकरण में अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (1) पेज 375 सरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह उल्लेखित है कि –

(iv) संवत 2030 के पश्चात भूमि का नवीनीकरण नहीं हुआ है किन्तु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के परिपत्र दिनांक 20.06.1991 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जो भूमि आरजी काश्त पर आवंटित है उसे यथावत उन्हीं व्यक्तियों के नाम नवीनीकरण किया जावे। इस परिपत्र में पूर्व के परिपत्र दिनांक 09.04.1988 का हवाला है, जिसमें आरजी काश्त पर आवंटित भूमि को यथावत उन्ही आवंटियों के नाम नवीनीकरण करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(v) जिला कलेक्टर के परिपत्र दिनांक 23.07.1994 में यह निर्देश दिये गये है कि पूर्व में आरजी काश्त पर आवंटित भूमि के नवीनीकरण पर कोई पाबंदी नहीं है किन्तु नये सिरे से रकबा राज आरजी काश्त पर आवंटित नहीं किया जावे। इस प्रकार पूर्व में आरजीकाश्त पर आवंटित भूमि का नवीनीकरण किया जा सकता है, चाहे नये नवीनीकरण पर पाबंदी लगी हो।

(vi) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.04.1991 से भी इंगित होता है कि एक बार किसी को आरजी काश्त पर भूमि आवंटित हो जाने पर किसी कारणवंश नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपील को जैरअपील भूमि दिनांक 15.07.1982 को आवंटन हुआ था जो संवत 2043 तक नवीनीकरण है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में भी यह माना है कि एक बार किसी को आरजी काश्त पर भूमि आवंटित हो जाने पर किसी कारणवंश नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 02 नगरपालिका सूरतगढ़ के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है, इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ की सूची, जिसके द्वारा पैराफेरी क्षेत्र में आने वाला रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित किया है, में जैर प्रकरण रकबा शामिल है। परन्तु पटवारी हल्का कस्बा सूरतगढ़ की दैनिक डायरी दिनांक 06.09.2006 में तथा तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के पत्रांक एसपीएल–2 दिनांक 07.09.2006 जिसके द्वारा रकबाराज कब्जा नगरपालिका सूरतगढ़ को सौंपने बाबत तैयार की गई सूची में जैर अपील रकबा शामिल नहीं है जिससे यह साबित होता है कि जैर अपील रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तांतरित नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रकबा नगरपालिका के नाम से अंकित नही है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2042 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2042–2045, 2053–56 में उक्त रकबा पर अपीलांट समसुदीन के नाम से दर्ज है। जिससे साबित है कि जैर अपील भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 का कथन है कि अपीलांट द्वारा मालकाना जमा नहीं करवाया गया है। इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम (अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते) 1955 के नियम 6 (2) (i) अनुसार बारानी भूमि का मालकाना नहीं लिया जावेगा। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत रसीद दिनांक 14.03.1984 से दिनांक 13.03.2006 के अवलोकन से यह साबित है कि अपीलांट द्वारा मालकाना राशि वर्ष 2006 तक जमा करवाई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.08.1985 अनुसार भी अपीलांट को टीसी पर आवंटित भूमि की ढालबांच में कोई रकम बकाया नहीं है। प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी काश्त पट्टा) 1955 की शर्तो के अन्तर्गत जैर अपील रकबा अस्थायी आवंटन हुआ था, जो संवत 2043 तक नवीनीकरण होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने जैर अपील निर्णय में अपीलांट द्वारा शर्तो का उंल्लधन करना मानकर अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किया है। परन्तु अपीलांट द्वारा किन–किन शर्तो का व किसी तरह से कब उल्लंघन किया है, यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट का रकबा वेस्टलेण्ड हेतु बने नियमों के अन्तर्गत खारिज किया है जबकि अपीलांट को उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत आवंटन हुआ था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 (1) पेज 680 में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 एवं 08.02.2006 में यह स्पष्ट कर दिया है यह परिपत्र किन किन नियमों के तहत आवंटित भूमियों पर लागू होगा तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वैस्ट लैण्ड हेतु निम्नांकित नियम बनाये गये है–

(अ) राजस्थान भू राजस्व (निजी जंगलात विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

(ब) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख [illegible] के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(स) राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1999 परन्तु अपीलांट को जैर अपील रकबा उक्त तीनों नियमों के तहत आवंटन नहीं हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रकबा वेस्टलैण्ड् नियमों के तहत खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा प्रिण्टैड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज करने की कार्यवाही की है, जो साईक्लोस्टाईल होने से समर्थन योग्य नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का जैर आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू0अ0), सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 08.09.2006 निरस्त किया जाता है तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलांट ने दिनांक 18.10.2007 से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी काश्त पट्टा) 1955 की शर्तो का उल्लंघन किया है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे तथा यदि अपीलांट ने शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है तो दिनांक 18.10.2007 के बाद जैर अपील भूमि पर नियम 1970 के प्रावधान लागू हो गये है। अतः उक्त नियमों के तहत कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner